हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षाओ की मूल्याकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु निर्देश

1. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त निर्धारित प्रारूप में आफलाइन या ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
2. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 217/XXIV /52013 2(17)2008 देहरादून दिनांक 12 जुलाई 2013 के द्वारा मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति हेतु रूपया 400.00प्रति प्रश्न पत्र शुल्क का निर्धारण किया गया है। अतः मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति चाहने हेतु परीक्षार्थी को लेखा शीर्षक 0202– शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, 01–सामान्य शिक्षा, 102– माध्यमिक शिक्षा, 02–बोर्ड परीक्षाओं का शुल्क में प्रति प्रश्न पत्र रूपया 400.00 की दर से ट्रेजरी चालान (ई–चालान) लगाना होगा।
3. परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ रूपया 400.00प्रति विषय की दर से चालान लगाकर उसकी मूल प्रति, अंक पत्र की छाया प्रति (इण्टरनेट प्रति भी मान्य) एवं आधार कार्ड की छाया प्रति (स्वप्रमाणित) सहित संलग्न कर स्वयं अथवा डाक द्वारा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) को परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त प्रेषित करना होगा।
4. उपरोक्त संलग्नकों के ना होने अथवा अपूर्ण आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिये जाएंगे। एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
5. उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के प्राप्त होने के पश्चात यदि परीक्षार्थी द्वारा प्रत्यावेदन दिया जाता है तो उस पर उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 के अधीन विहित विनियमों के अध्याय 12 के विनियम 16ङ के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसमें उल्लिखित किया गया है कि सन्निरीक्षा का तात्पर्य उत्तरपुस्तिकाओं का पुर्नमूल्यांकन नहीं है। सन्निरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में यह देखा जायेगा कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका में क्या अलग–अलग प्रश्नों में दिये गये अंकों का योग करने उन्हें अग्रेनीत करने अथवा किसी प्रश्न अथवा उसके भाग पर अंक देना छूटने की कोई त्रुटि नहीं हुई है। सन्निरीक्षा कार्य में परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं में परीक्षक द्वारा मूल्यांकित प्रश्नों के उत्तरों का कदापि पुर्नमूल्यांकन नहीं किया जायेगा, परन्तु यह कि यदि किसी परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के सही उत्तर पर शून्य अंक दिये गये हैं तो उस प्रश्न का विषय विशेषज्ञ से पुर्नमूल्यांकन कराया जायेगा।
6. उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति का किसी व्यवसायिक उपयोग अथवा प्रकाशन निषिद्ध होगा।
7. परिषदीय विनिष्टीकरण नियमावली के अनुसार परिषदीय परीक्षाओं की सभी उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षाफल घोषणा के छः माह अथवा सन्निरीक्षाफल घोषणा के उपरान्त विनिष्ट कर दी जाती है। विनिष्टीकरण के उपरान्त उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति चाहने हेतु किये गये किसी भी प्रार्थना पत्र पर बिचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
8. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के लिए कार्य क्षेत्र माननीय न्यायालय रामनगर जिला नैनीताल होगा।

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर(नैनीताल)

हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षाओ की मूल्याकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन निर्देश

1— परीक्षार्थी का नाम...

2— माता का नाम..

3— पिता का नाम...

4— कक्षा तथा वर्ष...

5— अनुक्रमांक...

परीक्षार्थी का स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो

6— विषय (जिसकी उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करनी है)

1 — .... 2 — ....

3 — .... 4 — ....

5 — .... 6 — ....

7— पत्र व्यवहार का पता— ....
....
....मोबाइल नं0..

आधार संख्या...

8— शुल्क का विवरण

चालान संख्या	दिनांक	बैंक का नाम	धनराशि

संलग्नकः—

1— चालान की मूल प्रति
2—अंक पत्र की छाया प्रति (इण्टरनेट प्रति भी मान्य)
3— आधार कार्ड की छाया प्रति (स्वप्रमाणित)

मैं.. पुत्र/पुत्री श्री .... सत्यनिष्ठा से यह घोषण करता /करती हूँ कि मैं परिषद् से प्राप्त अपनी उत्तरपुस्तिकाओं में परीक्षक द्वारा किये गये मूल्यांकन के विषय में परिषदीय विनियमों में विहित प्रावधानों का पालन करूंगा/करूँगी तथा उक्त उत्तरपुस्तिका/उत्तरपुस्तिकाओं को किसी भी प्रकार से प्रकाशित किये जाने हेतु उपयोग नहीं करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर—

नाम—

दिनांक—